लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की कार्यवृत्त

वित्त समिति की बैठक दिनांक 28 जनवरी, 2021 को पूर्वाहन् 11:00 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे:—

1.	**श्री आलोक कुमार राय**	कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3.	श्री श्रवण कुमार सिंह	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	डा0 विनोद कुमार सिंह,	कुलसचिव	सदस्य
5.	प्रो0 ए. एम. सक्सेना	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	श्री संजय श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 30 जून, 2020 एवं 31 अगस्त, 2020 की कार्यवृत्ति एवं अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव जोकि डा0 मुकुल चन्द्रा, चिकित्साधिकारी, कैनिंग कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय को दिनांक 09.03.2019 से नॉन–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता प्रदान किये जाने विषयक है प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर वित्त समिति द्वारा एक समिति बनाकर संगत शासनादेश के आलोक में उसकी रिपोर्ट अगली वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–03

लखनऊ विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत संविदा शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को 15 जुलाई, 2015 को जारी शासनादेश के अनुसार वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके वेतन से सी.पी.एफ. की कटौती किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त 15 जुलाई, 2015 को जारी शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार नियमावली बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की संस्तुति की गयी।

बिन्दु संख्या–04

लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह/परीक्षा कार्यक्रम/बजट के कार्यो में संलग्न विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले भुगतानों को विनियमित करने सम्बन्धी प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा चर्चा उपरान्त यह संस्तुति की गयी कि एक समिति बनाकर उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक नीति बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। नीति बनाते समय विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए।

बिन्दु संख्या–05

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक 20.10.2020 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त जिसमें हास्टल फीस एवं मेस के सम्बन्ध में तैयार की गयी नियमावली वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–06

लखनऊ विश्वविद्यालय, परिसर में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 757.07 लाख दिये जाने विषयक प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा उच्च शिक्षा अनुभाग–4 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 273/सत्तर–4–2020–569/2016 दिनांक 01 जून, 2020 का संदर्भ लेते हुए तथा यह पाते हुए कि शासन से प्राप्त धनराशि रू0 8.00 करोड़ का कार्य हो गया है, शेष बचे कार्यो को सम्पादित करने हेतु विश्वविद्यालय अपनी बचतों से कमिक चरणों में कार्य पूर्ण कराएं जाने की संस्तुति की गयी। यह भी संस्तुति की गयी कि उपलब्ध बजट के अनुसार जो कार्य कराया जाए, उसे पूर्ण कराकर उपयोग में भी लाया जाए ताकि अलाभकारी व्यय की स्थिति उत्पन्न न हो।

बिन्दु संख्या–07

लखनऊ विश्वविद्यालय, के विभिन्न विभागों द्वारा खाता खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जानाः–

कम सं0	प्रस्तावक/विभागाध्यक्ष/विभाग का नाम	खाते का नाम	टिप्पणी
1	प्रो0 पूनम टण्डन/अधिष्ठाता छात्र कल्याण।	एल.यू. हास्टल मैनेजमेण्ट एकाउण्ट	खाते तथा निधि की धनराशि के नियमावली के अनुरूप समुचित उपभोग तथा सम्परीक्षा हेतु खाता संचालक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2	प्रो0 नवीन खरे/प्रोफेसर इंचार्ज फैकल्टी ऑफ योग एण्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन।	फैकल्टी ऑफ योग एण्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन।	
3	प्रो0 ज्वाय सरकार/ रसायन शास्त्र विभाग।	इंचार्ज गेस एवं डिस्टिल्ड वाटर	
4	प्रो0 ध्रुवसेन सिंह, ह्यूमन रिसोर्स डवलेपमेण्ट सेण्टर।	एल.यू. टी.एस.ए.।	
5	आई.पी.पी.आर., विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	एल.यू. यू–ट्यूब चैनल से प्राप्ति सम्बन्धी एकाउण्ट	
6	डा0 रितू नारंग निदेशक, कन्सल्टेन्सी क्लीनिक	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ कन्सल्टेन्सी क्लीनिक एकाउण्ट	

उपरोक्तानुसार खाते खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिसे समिति द्वारा कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त हस्ताक्षर की प्रकिया को अपनाते हुए खातों से लेन–देन का विवरण प्रतिमाह प्रस्तुत किये जाने की शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–08

लखनऊ विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 23/2020/279/18–2–2020–97(ल0उ0)/2016 दिनांक 19 जून, 2020 एवं शासनादेश संख्या 5/2020/20/1/91–का–2/2020 दिनांक 25 जून, 2020 को अंगीकृत करते हुए समस्त विभागों में शासकीय क्रय/मैनपावर के क्रय जेम के माध्यम से कराए जाने के सम्बन्ध में सामग्रियों तथा सेवाओं की अधिप्राप्तियॉ शासन के निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से ही किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–09

लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य–परिषद की बैठक दिनांक 28.09.2020 के विनिश्चय संख्या–3 के बिन्दु –01 लिए गये निर्णय के अनुसार डा0 बी0बी0 मिश्रा, सेवानिवृत्त रेजीडेण्ट मेडिकल आफिसर, डिस्पेन्सरी, लखनऊ विश्वविद्यालय को शासकीय नियमों के आलोक में रू0 70,000/– प्रतिमाह तक की सीमा के अधीन मानदेय पर कार्य लिए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति ने कार्यपरिषद द्वारा पूर्व में लिए जा चुके नियुक्ति के निर्णय के क्रम में रू0 60,000/– प्रतिमाह मानदेय पर कार्य लिए जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–10

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा समिति की बैठक दिनांक 09.12.2020 की कार्यवृत्ति जिसमें विकास अध्ययन संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों श्री मनोज कुमार आफिस कम–कम्प्यूटर असिस्टेण्ट श्री राम चन्द्र बुक लिफ्टर, श्री दिनेश कुमार, सफाई कर्मचारी को पूर्व निर्धारित वेतन क्रमशः रू0 10,925/– रू0 8125/– एवं रू0 8125/– प्रतिमाह के अनुसार जुलाई, 2020 से अर्थशास्त्र विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बी.ए.आनर्स/एम.ए. अर्थशास्त्र (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम) से वेतन भुगतान हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति के द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को सम्बन्धित पाठ्यक्रम में स्थानांतरित करते हुए स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वेतन भुगतान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–11

लखनऊ विश्वविद्यालय समिति की बैठक दिनांक 09.12.2020 की कार्यवृत्ति जिसमें अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत कर्मचारी श्री कुन्दन राम का माह जुलाई, 2020 से बकाया वेतन भुगतान एम.बी.ए. मार्केटिंग प्रोग्राम से किये जाने विषयक प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति के द्वारा स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–12

लखनऊ विश्वविद्यालय में होने वाली फिल्म शूटिंग हेतु लिए जाने वाले रेन्ट बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा पूर्व में ली जा रही दर रू0 1,00,000/–+ GST से बढ़ाकर रू0 2,00,000/–+ GST लिए जाने पर संस्तुति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु

बिन्दु संख्या–1

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में कन्सल्टेन्सी क्लीनिक की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–2

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में छात्र कल्याण निधि से "शोध मेधा छात्रवृत्ति" दिये जाने विषयक प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–3

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में एम.एड. एवं एम.एस.सी. फिजिक्स के मेधावी छात्र/छात्राओं को क्रमशः प्रो0 शम्भूनाथ–माया–झा मेमोरियल प्रो0 सुशील कुमार राधिका दत्त मेमोरियल फेलोशिप दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–4

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन बीजक बिल नवीन साफ्टवेयर के माध्यम से विभाग स्तर पर तैयार करते हुए भुगतान प्रमाणित करते हुए केन्द्रीय लेखा कार्यालय को विभागाध्यक्ष स्तर से प्रेषित करने के सम्बन्ध में प्रस्तावानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संस्तुति की गयी।

बिन्दु संख्या–5

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के एन्थ्रोपोलॉजी विभाग में चल रहे स्ववित्त पोषित स्नातकोत्तर फारेंसिंक साईंस कार्यक्रम हेतु तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग एव लैब अस्सिटैण्ट के एक–एक पद पर कार्मिक रखे जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा स्ववित्त पोषित योजन के संगत नियमों के अधीन कार्यवाही हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–6

लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को सम्पन्न हुई कार्य–परिषद की बैठक की कार्यवाही के विनिश्चय संख्या 14 में निर्णय लिया गया कि प्रो0 नवीन खरे, प्रोफेसर इंचार्ज Faculty of Yoga & alternative Medicine को 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए तक नियत यात्रा भत्ता के रूप में रू0 5,000/– प्रतिमाह दिये जाने पर संस्तुति इस शर्त के साथ की गयी कि वे प्रत्येक माह एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा इस नियत यात्रा भत्ता की धनराशि का व्यय उसी उददेश्य के लिए किया गया, जिसके लिए उन्हें यह भत्ता स्वीकृत किया गया है। साथ ही, प्रो0 खरे की सेवानिवृत्ति के पश्चात नियमानुसार अभियांत्रिकीय संकाय के प्रोफेसर/इंचार्ज के समान ही उन्हें मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी।

बिन्दु संख्या–7

लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के परीक्षा नियंत्रक द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं एम.सी.क्यू.एस. प्रणाली से कराए जाने पर प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु प्रति प्रश्न रू0 50/– एवं प्रति उत्तर माला को तैयार किये जाने हेतु रू0 200/– प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त उक्त प्रस्ताव को तर्क संगत औचित्य सहित अगली वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

वित्त समिति द्वारा अन्त में विश्वविद्यालय में एक आंतरिक सम्वर्ती लेखा परीक्षा व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(इन्द्रजीत विश्वकर्मा)
अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

(प्रो0 ए. एम. सक्सेना)
परीक्षा नियंत्रक

(डा0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

(संजय श्रीवास्तव)
वित्त अधिकारी

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति